DHBVN
SAMACHAR
A monthly house journal of Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam, Hisar

June - 2007

Consumer Supplement

Service with Smile

पंचायतें करेंगी गांवों में बिजली का संचालन और रखरखाव

गांवों में मीटर रीडिग, बिल वितरण, बिल वसूली, बिजली वितरण प्रणाली का रख–रखाव, आपूर्ति शिकायतों का निवारण, नये कनैक्शन जारी करने व बकाया राशि वसूल करने आदि कार्यों के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पंचायतों के साथ अनुबंध कर फ्रेंचाइजी नियुक्त करने का फैसला किया है।

बिजली अधिनियम 2003 में उपलब्ध प्रावधान, भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में दिए गए निर्देशों और सरकार की पंचायती राज सशक्तीकरण योजना के अनुरुप दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पंचायतों को बिजली आपूर्ति के रख–रखाव का काम सौंपने का फैसला लिया है। इसके लिए पंचायते प्रशिक्षित युवाओं को ग्राम विद्युत प्रतिनिधि नियुक्त करेगी।

प्रतिनिधि की नियुक्ती के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पंचायतो को प्रति 500 उपभोक्ता 4500 रुपए की अदायगी की जाएगी। 500 उपभोक्ता तक वाले गांवो में एक प्रतिनिधि, एक हजार तक की संख्या के उपभोक्ताओं वाले गांव में दो प्रतिनिधि तथा 1500 उपभोक्तओं वाले गांव के तीन विद्युत प्रतिनिधि नियुक्त किए जा सकेंगे। ग्राम विद्युत प्रतिनिधि बिजली निगम द्वारा तय की गई वर्दी में तैनात रहेगे। जिसके लिए निगम द्वारा प्रतिवर्ष 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।

ग्राम विद्युत प्रतिनिधि को कार्यालय का स्थान पंचायत द्वारा निश्चित किया जाएगा जबकि बिजली के कार्य में जरुरी उपकरण बिजली निगम द्वारा दिए जाएगें।

इस योजना के तहत निगम द्वारा गांवों में बिजली पहुँचने वाले बिन्दु पर 11 के. वी. स्तर पर एक हाई–टेशन मीटर लगाया जाएगा ताकि गांव में बिजली आपूर्ति का सारा लेखा–जोखा रखा जा सके। जो पंचायते लाईन–लॉसिस कम करके अधिकतम बिजली की बिलिंग करेगी उनको प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। यदि कोई पंचायत गांव में कुल खपत हुई बिजली की 70 प्रतिशत की बिलिंग से 5 प्रतिशत ज्यादा की बिलिंग करती है तो उसे 500 रुपए अतिरिक्त दिए जाएगें जिसमें से 200 रुपए ग्राम विद्युत प्रतिनिधि को दिए जाएगें।

यदि पंचायत गांव में बिलों की कुल राशि की 95 प्रतिशत तक बिलिंग करती है तो उसको अतिरिक्त 500 रुपए और 100 प्रतिशत वसूली पर 1000 रुपए प्रोत्साहन के रुप में दिए जाएगें। जिसमें से क्रमश 200 रुपए और 400 रुपए ग्राम विद्युत प्रतिनिधि के होगें।

ग्राम पंचायतों को बिजली बचत के लिए भी आकर्षक प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया है यदि कोई पंचायत गांवो मे सभी पारम्परिक बल्ब हटाकर कॉम्पैक्ट फ्लोंरोसैट लैम्प या कम खपत वाली बिजली की ट्यूब लगवाती है तो उसको एक वर्ष तक एक हजार रुपए प्रति मास तक दिए जाएगें। पंचायत इसमें से 200 रुपए ग्राम विद्युत प्रतिनिधि को देगी। इसके लिए जरुरी होगा कि पंचायत गांव में पारम्परिक बल्ब न लगने दे।

इसके अलावा नलकूपों पर भारत सरकार के एनर्जी एफिसियन्सी ब्यूरो द्वारा सत्यापित मोटर व पम्प लगाने पर पचास नलकूप कनैक्शनों वाले गांव को 500 रुपए, 150 नलकूपों वाले गांव को 1000 रुपए और 150 से ज्यादा नलकूपों वाले गांव को 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि भी एक वर्ष तक जारी रहेगी और इसका एक तिहाई भाग ग्राम विद्युत प्रतिनिधि को दिया जाएगा।

बिजली चोरी करने वालों पर लगाई गई जुर्माने की राशि की वसूली पर पंचायत को 50 प्रतिशत भाग दे दिया जाएगा। फ्रेचाइजी की इस योजना के तहत प्रारम्भ में पंचायत द्वारा नियुक्त ग्राम विद्युत प्रतिनिधि को निम्न दबाव बिजली वितरण नेटवर्क तथा ऑप्रेशन और रख–रखाव का कार्य दिया जाएगा। जबकि दूसरे चरण में मीटर रीडिग, बिल आबंटन और बिल वसूली का कार्य सौंपा जाएगा।

जिला सिरसा की पंचायतों में फ्रैंचाइजी योजना के प्रति उत्साह

ग्राम पंचायतो को बिजली आपूर्ति का रखरखाव का काम सौंपने की योजना में जिला सिरसा में 289 पंचायतो ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के साथ अनुबंध कर लिया है। इन पंचायतों में कुल 300 आई. टी. आई प्रशिक्षित युवकों को ग्राम विद्युत प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया है। इनमें से 170 ग्राम विद्युत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण 4 जून को विद्युत नगर, हिसार में शुरु हुआ। पांच दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान उन्हे बिजली प्रणाली और उसके प्रबन्धन की जानकारी दी जाएगी।

भूना हरियाणा का पहला पूर्णत: सी.एफ.एल. फीडर बना

जिला सिरसा में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का भूना बिजली आपूर्ति फीड़र हरियाणा का पहला पूर्णत: सी. एफ.एल. फीडर बन गया है । इस फीडर से आपूर्ति लेने वाले सभी चार गांवों के उपभोक्ताओं ने पारम्परिक पीले बल्ब बदलकर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसैन्ट लैम्प (सी. एफ. एल.) लगा लिए है।

निगम के बिजली बचत अभियान के तहत निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की एक टीम ने इस फीडर से बिजली प्राप्त करने वाले चार गांवों मोरांवाली, भूना, भूना जग्गा, और गीदड़ान में उपभोक्तओं को सी. एफ. एल. के उपयोग के लिए जागरुक किया। निगम की टीम ने ग्रामीणों को 4200 सी. एफ. एल. खुद बेचकर ज्यादा बिजली की खपत करने वाले पारम्परिक बल्ब बदलवाए।

इन चार गांवों में कुल 1239 उपभोक्तओं ने 5700 ज्यादा बिजली की खपत वाले पीले बल्ब हटवाकर सी. एफ.एल. लगवाए। इस प्रकार 18 किलोमीटर की लम्बाई के 11 के. वी. स्तर के फीडर पर एक भी ज्यादा बिजली खपत वाला इनकेडैंसट बल्ब नहीं बचा बल्कि सभी प्वाईटों पर दूधिया रोशनी देने वाले कांम्पैक्ट फ्लोरोसैन्ट लैम्प लगा दिए गए।

इस फीडर पर बिजली आपूर्ति के लिए 12 ट्रांसफार्मरों पर लोड अधिकतम मांग के समय घटकर मात्र आधा रह गया है । लोड में अधिकतम कमी सांय 8 से 10 बजे के बीच आई है। ट्रांसफार्मरों पर अब गांवों में अतिरिक्त कनैक्शन देने की क्षमता है। अब प्रणाली पर ओवर लोडिग न होने के कारण बिजली आपूर्ति में बाधाओं की शिकायत न के बराबर हो गई है। अब उपभोक्तओं के बिजली बिल भी पहले की अपेक्षा कम होंगें।

खेदड़ बना सम्पूर्ण सी.एफ.एल. गांव

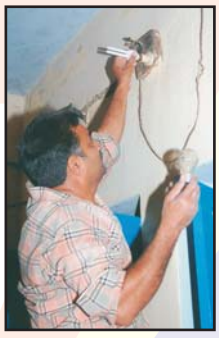

खेदड़ गांव की 989 एकड़ भूमि में जहां 1200 मैगावाट क्षमता का बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित होगा वहीं खेदड़ गांव ने गत 18 मई को प्रधानमंत्री द्वारा थर्मल प्लांट का शिलान्यास करने से एक दिन पूर्व अपने सभी घरों में पारम्परिक पीले बल्बों की जगह कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प (सी. एफ. एल.) लगाने का अभियान पूरा करके देश भर को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया कि बिजली की बचत समय की मांग है और उत्पादन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ।

खेदड़ गांव के लगभग सभी 1250 बिजली उपभोक्ताओं ने अपने घरों में अधिक बिजली खपत वाले पीले इनकेण्डैस्ट बल्बों के स्थान पर लगभग छह हजार सी. एफ. एल. लगा दी। पारम्परिक पीले बल्बों से रोशनी प्राप्त करने के लिए गांव में 600 किलोवाट लोड पर बिजली की खपत होती थी जो अब सांयकाल अधिकतम मांग के समय घटकर मात्र 120 से 150 किलोवाट रह गई है तथा गांव में स्थापित सभी आठ बिजली वितरण ट्रांसफार्मरों पर क्षमता, लोड की अपेक्षा, फालतू हो गई है।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कहने पर गांव के सरपंच श्री राजेश कुमार सोनी की अगुवाई में ग्रामीणों ने पांच दिन में ही अपने सभी पारम्परिक बल्बों को उतारकर सी. एफ. एल. का उपयोग करना शुरु कर दिया है । इसके लिए निगम द्वारा गांव में पांच हजार से ज्यादा सी. एफ. एल. बल्बों की बिक्री की गई तथा ग्रामीणों ने नजदीकी कस्बा बरवाला से भी सी. एफ. एल. खरीदे।

सैक्टर-13 होगा सम्पूर्ण सी.एफ.एल. सैक्टर

विद्युत सदन में सैक्टर–13 की रैजीडेण्डस वैलफेयर एसोशियशन और बिजली अधिकारियों की एक बैठक में सैक्टर–13 को सी. एफ. एल. सैक्टर बनाने का निर्णय लिया गया।

सैक्टर–13 को सी. एफ. एल. सैक्टर बनाने के लिए रैजीडेण्टस वैलफेयर एसोशिएसन द्वारा सैक्टर निवासियों से सम्पर्क किया जाएगा। बिजली निगम द्वारा 17 जून रविवार को सैक्टर–13 में एक बिजली सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें बिजली निगम द्वारा सस्ती दरों पर सी.एफ.एल. ब्रिकी का प्रबन्ध किया जाएगा। शिविर में सैक्टर–13 निवासियों की सभी व्यक्तिगत व सामूहिक शिकायतें सुनी जाएगी और मौके पर उनका समाधान किया जाएगा। इस दौरान हाथों–हाथ नया कनैक्शन देने, लोड बढ़वाने का कार्य, मीटर बदलवाने, मीटर चैक करवाने, बिल गलत होने, मीटर रीडिग सही नहीं होने आदि शिकायतों का मौके पर निदान किया जाएगा।

बिजली निगम के ट्रेंनिग सैंटर द्वारा आयोजित इस बैठक में प्रदेश में बिजली की स्थिति, बिजली बचत के उपाय, बिजली शिकायतों के निदान की प्रकिया, उपभोक्ता सेवा, उपभोक्ता संतुष्टि आदि विषयों पर विचार किया गया और प्रकाश डाला गया। सैक्टर–13 में 1556 घरों में बिजली आपूर्ति के लिए 18 ट्रांसफार्मरों वाला नेटवर्क स्थापित है। इस सैक्टर में काफी संख्या में पुराने पीले इन्कैन्डैसेन्ट बल्बों की जगह कॉम्पैक्ट फ्लोरोसैन्ट लैम्पो (सी. एफ. एल.) का उपयोग होने से लोड नियन्त्रण में है। केवल दो ट्रांसफार्मरों पर लोड क्षमता से ज्यादा हुआ था। जिनमें से एक की क्षमता बढ़ा दी गई है तथा एक अन्य ट्रांसफार्मर की जगह बड़ी क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। सैक्टर को पूर्ण सी. एफ. एल. बनाने के बाद बिजली आपूर्ति में स्थानीय बाधाएं काफी कम हो जाएगीं व ओवरलोडिग के कारण फ्यूज उड़ने व ट्रिपिगं होने की घटनाएं कम हो जाएगीं तथा प्रणाली पर भविष्य में आने वाला लोड भी वहन किया जा सकेगा। सैक्टर में बिल अदायगी सुविधा के लिए स्पाट रिडिग वाले कर्मी के पास जमा करने की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा।

बैठक में रैजीडेण्डस वैलफेयर एसोशिएसन के पदाधिकारियों ने व्यवस्था सुधार के लिए बिजली बचत पर जोर दिया तथा सी. एफ. एल. के साथ–साथ कम खपत वाले स्टार रेटिस उपकरणों के उपयोग को भी बढ़ावा देने पर बल दिया।

बैठक में मुख्यालय और ऑप्रेशन के बिजली अधिकारी वैलफेयर एसोशिएसन के प्रधान राम कवर, अतिरिक्त प्रधान एच.पी. मल्हान, उप–प्रधान प्रदीप बैनीवाल, कैशियर मदन गोपाल, ओडिटर ब्रिज मोहन, तथा सदस्य ओ. पी. पूनिया, कर्मवीर, दलबीर पन्नू तथा जे एन मित्तल शामिल थे।

औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वतंत्र फीडर देने की योजना

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने शहरी फीडरों से बिजली प्राप्त कर रहे औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वतत्र फीडर देने की एक योजना शुरु की है।

इस योजना के अन्तर्गत यदि किसी शहरी फीडर पर 50 प्रतिशत से ज्यादा औद्योगिक लोड है तो उक्त फीडरों को दो भागों में बांटकर औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनकी इच्छा पर विशेष औद्योगिक फीडर के माध्यम से बिजली दी जा सकेगी।

इस योजना के तहत फीड़रों को दो भागों में बांटने के कार्य पर आने वाले खर्च का 50 प्रतिशत भाग दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा वहन किया जाएगा। जबकि मौजूदा नियमों के अनुसार उपभोक्ता को ही विभागीय शुल्क सहित पूरा खर्च वहन करना होता है।

ढाणी सांकरी में उत्साहजनक परिणाम

हरियाणा के पहले लो वोल्टेज वितरण प्रणाली (एल. वी. डी. एस.) और कम्पैक्ट फ्लोरोसैंट लैम्प (सीएफएल) गांव ढाणी सांकरी में बिजली व्यवस्था में सुधार के उत्साहजनक परिणाम आए हैं।

जिला हिसार के इस गांव में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार एल. वी. डी. एस. प्रणाली आरम्भ होने और गांव में सभी पारम्परिक पीले बल्ब हटाकर सीएफएल लग जाने से गांव में लगे सभी चार वितरक ट्रांसफार्मरों पर लोड घटकर लगभग आधा रह गया है । गांव में वितरण प्रणाली को एल. वी. डी. एस. में परिवर्तित करने और सीएफएल लगाने से पूर्व कुल लोड 387 एम्पीयर था जो अब घटकर मात्र 195 एम्पीयर रह गया है ।

ढाणी सांकरी में दो वितरक ट्रांसफार्मर 100–100 केवीए क्षमता के तथा दो ट्रांसफार्मर 63–63 केवीए क्षमता के लगे हुए है । एल. वी. डी. एस. प्रणाली और सीएफएल लगने से पूर्व सभी चार ट्रांसफार्मरों पर अधिकतम मांग के समय के दौरान लोड क्षमता से ज्यादा रहता था और गांव में आपूर्ति में आने वाली बाधाओं की शिकायतों के साथ–साथ कम वोल्टेज रहने की शिकायत भी थी । दूसरी और गांव में लाईन लॉस अत्यधिक होने की दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की भी शिकायत थी । नई प्रणाली के बाद 100 केवीए क्षमता के एक ट्रांसफार्मर पर लोड 120 एम्पीयर से घटकर 68 एम्पीयर तथा 100 केवीए क्षमता के दूसरे ट्रांसफार्मर पर लोड 122 एम्पीयर से घटकर 62 एम्पीयर रह गया है । इसी प्रकार 63 केवीए क्षमता के एक ट्रांसफार्मर पर लोड 72 एम्पीयर से घटकर 32 एम्पीयर तथा 63 केवीए क्षमता के दूसरे ट्रांसफार्मर पर 73 एम्पीयर से घटकर 33 एम्पीयर रह गया है ।

मात्र एल.वी.डी.एस प्रणाली के होने से चारों ट्रांसफार्मरों पर कुल 387 एम्पीयर लोड में 86 एम्पीयर की कमी आई है इसके बाद गांव के सभी पारम्परिक बल्ब बदलकर सीएफएल लगाने से गांव का कुल लोड 301 एम्पीयर से घटकर 195 एम्पीयर रह गया है इस प्रकार सीएफएल लगाने से गांव के लोड में 104 एम्पीयर की कमी आई है । रोशनी के लिए खर्च होने वाली बिजली में सीएफएल लगने के बाद गांव में अनुमानतः 70 प्रतिशत तक की कमी आई है ।

गांव में बिजली की कुल वास्तविक खपत घटकर आधी हो गई है जबकि बिल पहले की अपेक्षा ज्यादा खपत के लिए बन रहे हैं। गांव में वोल्टेज में आने वाली भिन्नता समाप्त प्राय हो गई है और वोल्टेज स्तर में व्यापक सुधार हुआ है । इसके साथ ही लाईन लॉस में भारी कमी आई है। एल. वी. डी. एस. प्रणाली होने से पूर्व गांव के कुल 112 उपभोक्ताओं को 9500 यूनिट बिजली के द्विमासिक बिल गए थे जबकि एल. वी. डी. एस. प्रणाली होने के बाद गांव के कुल 119 उपभोक्ताओं को 12560 यूनिट के द्विमासिक बिल जारी किए गए । किन्तु गांव में पारम्परिक बल्ब हटाकर सीएफएल लगाए जाने के बाद बिलों में भारी गिरावट आने की सम्भावना है । सीएफएल लगाने के बाद पहली बार अगले मास बिल जारी करने है । एल. वी. डी. एस. प्रणाली से पूर्व ढाणी सांकरी में लाईन लॉस का स्तर 58 प्रतिशत था जबकि इस प्रणाली के और सीएफएल लगने के बाद लाईन लॉस में 35 प्रतिशत की गिरावट आई है और अब घटकर मात्र 23 प्रतिशत रह गया है ।

इस प्रकार ढाणी सांकरी में लो वोल्टेज वितरण प्रणाली की स्थापना और पारम्परिक पीले बल्बों की जगह सीएफएल लगाने से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को वित्तीय लाभ हुआ है वहीं ग्रामीणों के बिजली बिल भी छोटे हुए हैं और गांव की बिजली आपूर्ति में आने वाली बाधाओं व कम वोल्टेज की शिकायत लगभग समाप्त हो गई है । अधिक लोड के कारण गांव में अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की मांग थी किन्तु नई प्रणाली की स्थापना से गांव में पहले से लगे ट्रांसफार्मरों की क्षमता अब फालतू हो गई है और अतिरिक्त कनैक्शन भी अब मौजूदा ट्रांसफार्मरों से ही दिए जा सकते है । इसके साथ–साथ गांव में बिजली वितरण प्रणाली पूर्णतया सुरक्षित हो गई है व दुर्घटनाओं की सम्भावना समाप्त हो गई है ।

लो वोल्टेज वितरण प्रणाली के तहत गांव से गुजरने वाली निम्न दबाव की लाईनें खुले तारों की बजाए आर्म्ड केबल का उपयोग किया जाता है । इस प्रकार वितरक ट्रांसफार्मरों के बाद बिजली वितरण के लिए गांव के भीतर जाने वाले तार कहीं भी नंगे नहीं होते बल्कि रबड़ युक्त होते हैं। ऐसी प्रणाली में कुंडियां लगाना सम्भव नहीं है तथा तारों पर लगी रबड़ के कारण दुर्घनाएं भी नहीं होती हैं।

बिजली चोरी की स्वैच्छिक घोषणा योजना

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली चोरी की स्वैच्छिक घोषणा योजना लागू की है । इस योजना के तहत घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ता 14 जून 2007 तक अपने मीटरों से छेड़छाड़ की घोषणा स्वेच्छा से कर सकते हैं।

इसके लिए सिंगल फेस मीटर की शुल्क राशि दो सौ रुपये प्रति किलोवाट तथा तीन फेस मीटर पर तीन सौ रुपये प्रति किलोवाट शुल्क देना होगा।

बिजली के अनाधिकृत उपयोग पर घरेलू और गैर–घरेलू उपभोक्ता को निर्धारित शुल्क सहित निगम के स्थानीय कार्यालय में प्रार्थना –पत्र देना होगा जिसके साथ नये बिजली बिल की फोटो कापी भी लगानी होगी। स्वैच्छिक घोंषणा करने वाले उपभोक्ता को इस योजना का लाभ लेने के लिए अगर कोई बकाया बिल है तो वह भरना जरुरी होगा।

बिजली चोरी करने वालों के मीटर होंगे लाल

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को एक विशेष पहचान देकर सार्वजनिक करने का फैसला किया है ।

आगामी 15 जून के बाद जो उपभोक्ता बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा उसके मीटर के बक्से को लाल रंग से रंग दिया जाएगा । पहली बार चोरी करते हुए पकड़े गए उपभोक्ता के मीटर का बक्सा कम से कम एक साल तक लाल रंग का त्रिकोणीय रखा जाएगा।

यदि एक साल तक उपभोक्ता का व्यवहार अच्छा और ईमानदारी का रहता है तो उसके मीटर का बक्सा बदलकर सामान्य रंग का लगा दिया जाएगा ।

दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़े गए उपभोक्ता के मीटर के बक्से को दो साल के लिए लाल रंग का त्रिकोणिय रखा जाएगा और उसका नाम और फोटो विज्ञापन के माध्यम से कम से कम पांच समाचार–पत्रों में छपवाया जाएगा । इसके अलावा निगम के कार्यालय–प्रांगणों में बोर्ड़ो की स्थापना कर चोरी करते पकड़े गए लोगों के नाम फोटो सहित बोर्ड़ो पर भी छापे जाएगें।

एक और गांव शत प्रतिशत मीटर युक्त

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के क्षेत्र में एक और गांव शत प्रतिशत मीटर युक्त नियमित बिजली कनैक्शनों वाला गांव बन गया है।

जिला रेवाड़ी के गांव मुशेपुर में कुछ दिन पूर्व किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कुल 481 में से 450 घरों में कनैक्शन थे। पाया गया था कि बिजली लगभग सभी घरों में जलाई जाती है। बिजली निगम द्वारा गांव में कैंप लगाकर लोगों को हाथों–हाथ कनैक्शन देने की सुविधा दी । अब इस गांव के सभी 481 घरों में मीटर युक्त नियमित बिजली के कनैक्शन हैं। नारनौल ऑप्रेशन सर्कल का यह शत–प्रतिशत घरों में बिजली वाला पांचवा गांव बन गया है। इससे पूर्व गांव भागथला, गोठड़ा, कापड़ीवास और भालपुर में शत–प्रतिशत घरों में मीटर स्थापित कर नियमित बिजली कनैक्शन दिए गए थे। गांव मुशेपुर में 100–100 के. वी. ए. क्षमता के तीन ट्रांसफार्मरों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जाती है। गांव में 31 कनैक्शन बढ़ जाने के बाद भी और गर्मी भी बढ़ जाने के बावजूद ट्रांसफार्मरों के लोड में अन्तर नहीं आया है। 100 के. वी. ए. ट्रांसफार्मर जोहड़वाला पर पहले 97 एम्पीयर लोड दर्ज किया गया था बाद में 98 एम्पीयर लोड दर्ज किया गया है । 100 के. वी. ए. ट्रांसफार्मर एम आई टी सी पर पहले और कनैक्शन बढ़ने के बाद लोड बराबर 89 एम्पीयर रहा है। इसी प्रकार 100 के. वी. ए. ट्रांसफार्मर नंदराम वाला पर भी शत–प्रतिशत घरों में कनैक्शन होने से पहले और शत–प्रतिशत घरों में कनैक्शन होने के बाद लोड बराबर 105 एम्पीयर रहा है।

बागवानी कनैक्शनों को कृषि नलकूप श्रेणी में बदलवाने की योजना

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उन बागवानी व कम दबाव (एल.टी.) औद्योगिक कनैक्शनों को कृषि श्रेणी में बदलने का एक मौका देने का निर्णय लिया है जिनका उपयोग वास्तव में कृषि के लिए हो रहा है।

इस स्कीम का फायदा वे उपभोक्ता ले सकेगें जिनके ट्यूबवैल कनैक्शन निम्न दबाव औद्योगिक श्रेणी में एक नवम्बर 2001 से पहले चालू हैं।

बाहर खम्भों पर लगने वाले मीटरों के लिए लोहे का बक्सा

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बाहर खम्भों पर लगने वाले मीटरों के लिए लोहे का एक ऐसा बक्सा (मीटर कवर बाक्स) डिजाईन करवाया है जिसको खोल पाना कठिन होगा।

इस मीटर बाक्स में स्टील के पुश फिट लॉक का प्रावधान किया गया है जो एक बार बन्द करने के उपरान्त खुल नहीं सकेगा।

लोहे के इस मीटर बाक्स के भीतर लगने वाले मीटरों में मीटरिंग तथा प्रोटक्शन (एम एण्ड पी) द्वारा बिजली लाईन से जोड़ने वाली और मीटर के बाद उपभोक्ता के घर तक जाने वाली दोनों डोरियां मीटर में डालकर इस लोहे और स्टील के पुश–फिट लांक वाले मीटर कवर को लाकं कर ऑप्रेशन विंग के कर्मियों को सौंपा जाएगा। इस प्रकार ठेकेदार तक मीटर इस अवस्था में जाएगा कि वह उसको खोल न सके ठेकेदार केवल उसको जोड़ने का कार्य ऑप्रेशन विंग के सुपरवाईजर स्तर के स्टाफ की देख–रेख में करेगा। सुपरवाईजर बाहर लगाए गए मीटरों पर अपनी सील भी लगाएगा।

टी.वी. और इंटरनैट केबल नहीं लगेगी बिजली के खम्भों पर

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने भविष्य में टी. वी. और इन्टरनेट नेटवर्क ऑपरेटरों को अपने बिजली के खम्भों पर केबलें डालने की अनुमति नहीं देने का फैसला लिया है ।

बिजली के खम्भों पर लगी टी. वी. और इन्टरनेट नेटवर्क ऑपरेटरों की बिजली कर्मियों के लिए खम्भों में चढ़ने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं और कभी–कभी छेदन के कारण स्टाफ के लिए दुर्घटना का खतरा भी हो जाता है । केबल ऑपरेटरों की केबलें इस समय बिजली के मीटर उपभोक्ताओं के घरों से बाहर निकालकर खम्भों पर लगाने के कार्य में बाधा बन रही है और बिजली वितरण प्रणाली पर गुच्छों में टंगी हुई ये केबलें भद्दी भी लग रही है । बेतरतीब ढंग से लगाई ये केबलें जहां अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है वहां इन से निगम की प्रणाली में निजी व्यक्तियों के हस्तेक्षेप का कारण भी बन रही हैं। केबल ऑपरेटरों के लिए कार्य करने वाले इन निजी व्यक्तियों के लिए दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है ।

इन परिस्थितियों के मद्देनजर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने भविष्य में किसी भी केबल ऑपरेटर को अपनी बिजली वितरण प्रणाली पर केबल डालने की अनुमति न देने का फैसला लिया है । जिन केबल ऑपरेटरों ने चालू वित्तीय वर्ष का किराया पहले ही जमा करा दिया है उनको केबल हटाने का पंद्रह दिन का नोटिस देकर जमा करवाई गई किराये की राशि वापिस कर दी जाएगी ।